

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

04 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2022 / 06

वादीगण
1. जेदूसिंह पुत्र जालमसिंह
2. भगावनसिंह पुत्र जालमसिंह
3. अर्जुनसिंह पुत्र जालमसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र जालमसिंह
5. मदनसिंह पुत्र जालमसिंह
6. छोटूसिंह पुत्र जालमसिंह
7. तेजसिंह पुत्र जालमसिंह
जाति राजपूत निवासी सरवडी
तहसील पचपदरा

बनाम प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल पुत्र हरलालसिंह
2. मानसिंह पुत्र आईदानसिंह
3. देवीसिंह पुत्र शिवसिंह
4. विशनसिंह पुत्र कानसिंह
5. निर्मलसिंह पुत्र कानसिंह
6. सुमेरसिंह पुत्र कानसिंह
7. भैरूसिंह पुत्र मोहनसिंह
8. श्रीमति देवकंवर बेवा मोहनसिंह
9. बजरंगसिंह पुत्र जसराजसिंह
10. गोमती पुत्री जसराजसिंह
11. गीता बेवा जसराजसिंह
12. छोगसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह
13. हरचंदसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह
14. कल्याणसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह
15. मालमसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह
16. तिलोकसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह
17. टीकमसिंह पुत्र गुमानसिंह
18. भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह
19. भागीरथसिंह पुत्र हरलालसिंह
20. अभयसिंह पुत्र मोहनसिंह
21. नरपतसिंह पुत्र मोहनसिंह
22. मांगीलाल पुत्र मोहनसिंह
23. गजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह
24. दुर्गाकंवर पुत्री मोहनसिंह



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

25. सायबकंवर देवा मोहनसिंह

जाति पुरोहित निवासी सरवडी

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

26. राजस्थान सरकार जरीए भूमिधारक

तहसीलदार पचपदरा व जिला बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री बाबुलाल सांखला अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7,9 एवं 16 से 21 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 6,8 व 10 से 15 एवं 22 से 26 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 18.6.2024

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा सरवडी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 166,167,168 व 292 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 09.6.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर बादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया तथा वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर विधिक आपति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आपति पर सुनवाई कर प्रार्थनापत्र में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज की गई। तत्पश्चात माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सरवडी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 166,167,168 व 292 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


महोदय कलक्टर



क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख स	क्षेत्रफल (हेक्टर)	किरम	लगान	बंरग
1	<p>नरपतसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/32 फौत होने पर इनके कायम मुकाम (i)मुकेशसिंह पुत्र नरपतसिंह हि. 1/96</p> <p>(ii)राकेशसिंह पुत्र नरपतसिंह हि. 1/96</p> <p>(iii)सीरीया कंवर पत्नि नरपतसिंह हि. 1/96</p> <p>अर्जुनसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/32</p> <p>छोटुसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/32</p> <p>जेतुसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/32</p> <p>तेजसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/32</p> <p>भगवानसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/32</p> <p>मदनसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/32</p> <p>मोहनकंवर पत्नि जालमसिंह हि. 1/32 फौत होने पर इनके कायम मुकाम</p> <p>(i)अर्जुनसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/320</p> <p>(ii)छोटुसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/320</p> <p>(iii)नरपतसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/320</p> <p>(iv)जेतुसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/320</p> <p>(v)तेजसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/320</p> <p>(vi)भगवानसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/320</p> <p>(vii)मदनसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 1/320</p> <p>(viii)सुखीदेवी पुत्री जालमसिंह हि. 1/320</p> <p>(ix)नैनाकंवर पुत्री जालमसिंह हि. 1/320</p> <p>(x)शांतिकंवर पुत्री जालमसिंह हि. 1/320</p>	सरवड़ी	292	0.6475	बा.अ.	1.00	नक्शे में दर्शित अनुसार



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मीता पत्नि जसराजसिंह हि. 1/12
 गोमति पुत्री जसराजसिंह हि. 1/12
 बजरंगसिंह पुत्र जसराजसिंह हि.
 1/12
 देशकंवर पत्नि मोहनसिंह हि 1/8
 भेरूसिंह पुत्र मोहनसिंह हि. 1/8
 निर्मलसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/16
 विशनसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/16
 सुमेरसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/16
 पांचीदेवी पत्नि कानसिंह हि. 1/16
 फौत होने पर इनके कायम मुकाम
 (i) निर्मलसिंह पुत्र कानसिंह हि.
 1/64
 (ii) विशनसिंह पुत्र कानसिंह हि.
 1/16
 (iii) सुमेरसिंह पुत्र कानसिंह हि.
 1/64
 (iv) ओमादेवी पुत्री कानसिंह हि.
 1/64 कौम पुरोहित सा. देह
 खातेदार

2	मांगीलाल पुत्र हरलालसिंह हि. 1/3 भागीरथसिंह पुत्र हरलालसिंह हिस्सा 21/201 देवीसिंह पुत्र शिवसिंह हि. 218/843 मानसिंह पुत्र आईदानसिंह हि. 1/3 कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	सरवड़ी	292	0.0767	गै. मुरास्ता	0.011	नक्शों में दर्शित अनुसार
			292	0.1500	बा.अ.	0.24	
			168	1.6754	बा.अ.	2.58	
			166	0.2103	बा.अ.	0.32	
			167	0.1619	बा.अ.	0.24	
3	अभयसिंह पुत्र मोहनसिंह हि. 1/12 नरपतसिंह पुत्र मोहनसिंह हि. 1/12 मांगीलाल पुत्र मोहनसिंह हि. 1/12 गजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह हि. 1/12 दुर्गाकंवर पुत्री मोहनसिंह हि. 1/12 सायरकंवर पत्नि मोहनसिंह हि. 1/12 छोगसिंह पुत्र जगनाथसिंह हि. 61/1810 हरचंद्रसिंह पुत्र जगनाथसिंह हि. 61/1810 कल्याणसिंह पुत्र जगनाथसिंह हि. 61/1810 मालमसिंह पुत्र जगनाथसिंह हि. 61/1810 तिलोकसिंह पुत्र जगनाथसिंह हि. 61/1810 भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह हि. 30/181 टिकमसिंह पुत्र गुमानसिंह हि. 30/181 कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	सरवड़ी	167	1.8939	बा.अ.	2.93	
			166	1.0361	बा.अ.	1.60	



तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।



(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.6.2024 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा



मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 04 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022 / 06

वादीगण
1. जेठूसिंह पुत्र जालमसिंह
2. भगावनसिंह पुत्र जालमसिंह
3. अर्जुनसिंह पुत्र जालमसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र जालमसिंह
5. मदनसिंह पुत्र जालमसिंह
6. छोटूसिंह पुत्र जालमसिंह
7. तेजसिंह पुत्र जालमसिंह
जाति राजपूत निवासी सरवड़ी
तहसील पचपदरा

बनाम प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र हरलालसिंह
2. मानसिंह पुत्र आईदानसिंह
3. देवीसिंह पुत्र शिवसिंह
4. विशनसिंह पुत्र कानसिंह
5. निर्मलसिंह पुत्र कानसिंह
6. सुमेरसिंह पुत्र कानसिंह
7. भैरूसिंह पुत्र मोहनसिंह
8. श्रीमति देवकंवर बेवा मोहनसिंह
9. बजरंगसिंह पुत्र जसराजसिंह
10. गोमती पुत्री जसराजसिंह
11. गीता बेवा जसराजसिंह
12. छोगसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह
13. हरचंदसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह
14. कल्याणसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह
15. मालमसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह
16. तिलोकसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह
17. टीकमसिंह पुत्र गुमानसिंह
18. भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह
19. भागीरथसिंह पुत्र हरलालसिंह
20. अभयसिंह पुत्र मोहनसिंह
21. नरपतसिंह पुत्र मोहनसिंह
22. मांगीलाल पुत्र मोहनसिंह
23. गजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह
24. दुर्गाकंवर पुत्री मोहनसिंह
25. सायरकंवर बेवा मोहनसिंह
जाति पुरोहित निवासी सरवड़ी
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
26. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारक
तहसीलदार पचपदरा व जिला बाड़मेर



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 04 / 2022


निर्णय दिनांक :-18.6.2024

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण की ओर से श्री बाबुलाल साखला अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 5 व 7,9 एवं 10 से 21 की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 6,8 व 22 से 26 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 18.6.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठारीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 18.6.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 18.6.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(राजेशकुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5. आदेशिका की तामील	-----
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
	जोड़ -----		जोड़ -----


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा